

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/99

प्रकरण संख्या 58/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री भोपालसिंह

बनाम

राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक : 14.04.2022

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी की भूमि मौजा मोगजी का खेड़ा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भोपालसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में गोपालसिंह पिता मदनसिंह दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह के स्थान पर भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत किया जावे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें बताया कि गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह के स्थान पर भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत किये जाने की अनुशंसा की एवं ग्राम पंचायत केदारिया द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बताया कि गोपालसिंह एवं मदनसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है एवं गांव में यह इन्हीं दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में अंकित सहखातेदारों ने भी अपनी सहमति प्रकट की जिसमें उन्होंने बताया की मौजा मोगजी का खेड़ा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह लिखा हुआ है। हम सभी सहखातेदार सहमत है की उनके भाई का नाम गोपालसिंह की बजाय भोपालसिंह किया जाये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में



उपखण्ड अधिकारी भीण्डर,
जिला-उदयपुर (राज.)

जिसमें आधार कार्ड, जनआधार कार्ड जिसमें प्रार्थी का नाम भोपालसिंह पिता मदनसिंह दर्ज है।

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकरण करने प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थी के नाम दर्ज मौजा मोगजी का खेड़ा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से खाता संख्या खाता संख्या 29 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खाता संख्या 26 रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह लिखा हुआ है। अतः मौजा मोगजी का खेड़ा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह की बजाय भोपालसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपुत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
4. अतः प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रेकॉर्ड मौजा मोगजी का खेड़ा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 29 की खसरा सं. 269, 291, 662/310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 281, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 120, 121, 185, 186, 187, 190, 191, 272, 277, 278, 279, 287, 288, 295, 297 कुल किता 15 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत दर्ज है जिसको गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह के बजाय भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।
5. निर्णय खुले इजलास मजमें आम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट वाणियातलाई में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।



(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)

उपखण्ड अधिकारी

भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर

जिला-उदयपुर (राज.)